न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 70–दो/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–10–2010 पारित व्दारा – अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल – प्रकरण क्रमांक 59/2010–11 अपील

बुद्धा पुत्र मोतीराम जाति हरिजन
ग्राम छीरखेड़ा तहसील व जिला विदिशा ----आवेदक

विरूद्ध

प्रभूलाल दत्तक पुत्र गेंदालाल
ग्राम चिड़ोरिया तहसील सूखी सेवनिया
जिला भोपाल, मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.पी.धाकड़)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी)

आ दे श
(आज दिनांक 8 – 11 –2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 59/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 15–10–2010 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक ने तहसीलदार विदिशा के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम चिड़ोरिया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 264/1 रकबा 2.060 हैक्टर के भाग 1/2 पर

जिला न्यायाधीश विदिशा के प्र0क्र0 12 ए/08 में पारित आदेश दिनांक 8-8-2008 के पालन में नामान्तरण की मांग की। तहसीलदार विदिशा ने प्रकरण क्रमांक 5/अ-6/08-09 पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 30.6.2009 से नामांत्रण कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा के समक्ष अपील क्रमांक 87/08-09 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 20-7-10 से अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 59/2010-11 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 15-10-2010 से अपील अग्राह्य की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि जब जिला सत्र न्यायाधीश के आदेश दिनांक 8-8-08 के विरूद्ध मान. उच्च न्यायालय में अपील लम्बित है, तहसीलदार को वादोक्त भूमि पर अनावेदक का नामान्तरण नहीं करना चाहिये, अपितु मान. उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश तक कार्यवाही रोकना थी। अनावेदक के अभिभाषक ने तहसीलदार के आदेश को उचित होना बताया।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि तहसीलदार विदिशा ने प्रकरण क्रमांक 5/अ-6/08-09 में पारित आदेश दिनांक 30.6.2009 से जिला न्यायाधीश विदिशा के प्र0क्र0 12 ए/08 में पारित आदेश दिनांक 8-8-2008 के पालन में ग्राम चिड़ोरिया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक

264/1 रकबा 2.060 हैक्टर के भाग 1/2 यानि 1.030 हैक्टर भूमि पर नामान्तरण किया है विचार योग्य है कि क्या तहसीलदार ने नामान्तरण आदेश पारित करने में किसी प्रकार की त्रृटि की है ?

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 110 - व्यवहार न्यायालय की डिक्री - राजस्व न्यायालय पालन हेतु बाध्य है।

2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 109,110 - व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में राजस्व न्यायालय व्दारा अमल का आदेश दिया गया - अपील राजस्व न्यायालय में नहीं होगी, अपितु व्यवहार न्यायालय के वरिष्ठ न्यायालय में अपील होगी।

3. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 109,110 - व्यवहार न्यायालय की डिक्री के आधार पर नामान्तरण कार्यवाही विचारित - व्यवहार न्यायालय के वरिष्ठ न्यायालय का स्थगन अथवा कार्यवाही रोके का आदेश प्रस्तुत नहीं किया - नामान्तरण कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती - नामान्तरण कार्यवाही स्वत्व का विनिश्चय नहीं - मात्र अभिलेख अद्यतन रखने की कार्यवाही है।

स्पष्ट है कि तहसीलदार विदिशा ने प्रकरण क्रमांक 5/अ-6/08-09 में पारित आदेश दिनांक 30.6.2009 से जिला न्यायाधीश विदिशा के प्र0क्र0 12 ए/08 में पारित आदेश दिनांक 8-8-2008 के अनुसार नामान्तरण करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी विदिशा ने आदेश दिनांक 20-7-10 से एंव अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने अपील प्रकरण क्रमांक 59/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 15-10-2010 से तहसीलदार के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 59/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-10-2010 उचित पाये जाने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर